



झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद

Jharkhand State Paramedical Council

रिम्स चिकित्सक आवास परिसर, बरियातु, राँची-834009, झारखण्ड, भारत
RIMS Doctors' Colony Campus, Bariatu, Ranchi-834009, Jharkhand, India

Web:- www.jharkhandstateparamedicalcouncil.com E-mail: jspranchi@gmail.com Tele-Fax:-6513139309

(Constituted by the Department of Health, Medical Education & family Welfare, Government of Jharkhand vide Notification no- 7(A)/Paramed-11-09/09-356(7A)Ranchi, Dated 17.9.2010)



डॉ. सिद्धार्थ सान्याल
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड सह
अध्यक्ष
Dr. Siddharth Sanyal
Director in Chief,
Health Services, Jharkhand cum
Chairman

प्रो. डॉ. डी के सिन्हा
शल्य विभाग, रिम्स, राँची सह
कार्यकारी निदेशक एवं
सदस्य-सचिव
Prof. Dr. D K Sinha
Surgery Dept. RIMS,
Ranchi cum
Executive Director &
Member Secretary

डॉ. एम. दीपक लकड़ा
चक्षु रोग विभाग, रिम्स, राँची सह
निबंधक
Dr. M. Deepak Lakra
Dept. of Ophthalmology
RIMS, Ranchi cum
Registrar

डॉ. राजीव रंजन
ऐनाटॉमी विभाग, रिम्स राँची सह
परीक्षा नियंत्रक
Dr. Rajiv Ranjan
Dept. of Anatomy,
RIMS, Ranchi cum
Examination Controller

Para. med./Registration-17/2017 (खण्ड) III... 279 DATE 21/11/25

आदेश

झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद, राँची के शासी परिषद्(GB) में लिए गए निर्णयानुसार परिषद् में निबंधित Paramedics का प्रत्येक पाँच वर्ष में निबंधन नवीनीकरण (Registration Renewal) परिषद् के Official website के माध्यम से Online प्रणाली द्वारा किया जाना है।

- निबंधन नवीनीकरण हेतु सम्बंधित आवेदक को परिषद् के Website में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए सभी वाँछित दस्तावेजों को Upload करना होगा।
- इस हेतु पूर्व में निर्धारित शुल्क रु. 500/- को बढ़ाकर 1000/- किया गया है।
- आवेदकों द्वारा Upload दस्तावेजों एवं शुल्क इत्यादि का सत्यापन पश्चात् परिषद् द्वारा Renewal की स्वीकृति दी जायेगी तथा (Registration Renewal Certificate) निबंधन नवीनीकरण प्रमाणपत्र परिषद् के Official website से Download कर प्राप्त किया जा सकता है।
- निबंधन नवीनीकरण (Registration Renewal) सम्बंधी आवेदन Offline माध्यम से प्राप्त नहीं किया जायेगा।

[Signature]
19/11/25
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद,
राँची।
[Signature]
19/11/25

ज्ञापांक 279 दिनांक 21/11/25

प्रतिलिपि:- परिषद् अन्तर्गत कार्यरत सभी पदाधिकारी/कर्मियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- राज्यांतर्गत संचालित सभी सरकारी/गैर-सरकारी पारामेडिकल शिक्षण संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी सम्बंधित अभ्यर्थियों/आवेदकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
19/11/25
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद,
राँची।
[Signature]
19/11/25